सं.प्रशा./601/हिं.क./न.रा.भा.का.स.
कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(सी.स.)
सीमा सडक भवन, नारायणा,
दिल्ली छावनी-110010

दिनांकः 15/02/2016

सेवा मे,

प्रभारी अधिकारी
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभागों सहित
समस्त उप-कार्यालय

विषयः नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक - अनुवर्ती कार्रवाई।

*****

महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की अध्यक्षता में दिनांक 28/01/2016 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कि बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इस कार्यालय की ओर से अपर नियंत्रक महोदय एवं सहायक निदेशक(रा.भा.) द्वारा भाग लिया गया। बैठक के दौरान सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के सुचारू रूप से कार्यान्वयन पर सार्थक चर्चा करते हुए सचिव(राजभाषा) व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्यण लिए गएः-

कार्यालयों में स्थापित सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी रूप से कार्य करने की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अधीन जारी निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएः-

1.	सामान्य आदेश	General Orders
2.	संकल्प	Resolution
3.	नियम	Rules
4.	अधिसूचनाएँ	Notification
5.	प्रशासनिक एवँ अन्य रिपोर्टें	Administrative and others Reports
6.	प्रेस विज्ञप्तियाँ	Press Communiques
7.	संविदाएं	Contracts
8.	करार	Agreements
9.	अनुज्ञप्तियाँ	Licences

कृ.पृ.उ.

10. अनुज्ञापत्र	Permits
11. सूचनाएं	Information
12. निविदा प्रपत्र	Tender Form
13. निविदा सूचना	Tender Notice
14. संसद के दोनो सदनों के समक्ष रखे जाने वाले कागजात	Papers to be placed before both Houses of Parliament

उपर्युक्त सभी कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है और इन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वह इन पर तभी हस्ताक्षर करें जबकि इन्हे हस्ताक्षर के लिए द्विभाषी रूप(हिंदी/अंग्रेजी) में प्रस्तुत किया गया हो तदनुसार इसकी सूचना कार्यालय की ओर से प्रेषित की जाने वाली हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के भाग-1 की मद संख्या 1(क) में दर्शायी जाए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह भी निदेश दिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक कार्यालय द्वारा सतत् प्रयास किये जाएँ तथा निर्धारित हिंदी पत्राचार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई की जाए तथा निर्धारित हिंदी पत्राचार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यालय अध्यक्ष की उपस्थिति में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों में सार्थक चर्चा की जाए।

कृपया उक्त संबंध में की गयी कार्रवाई से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

(नीलू)भा.र.ले.से.
रक्षा लेखा उप नियंत्रक

प्रतिलिपि सेवा में,

महानिदेशक एवं अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(दक्षिण) दिल्ली,
(संयोजकः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो),
सचिवालयः पूर्वी खंड-7, रामकृष्ण पुरम,
नई दिल्ली-110066

(कृष्ण गोपाल)
सहायक निदेशक(रा.भा.)